झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

संकल्प

विषय – झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किये जाने के संबंध में।

लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ प्रेस/मीडिया को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। इस प्रतिबद्धता के तहत् झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाना सरकार के समक्ष प्रस्तावित था। राज्य में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित वित्तीय अंशदान तथा उसके निबंधन एवं शर्तों को विनियमित करने हेतु झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ एवं लागू होगा –

    (i) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली, 2021" कही जा सकेगी।

    (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

    (iii) यह योजना अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ – प्रस्तावित नियमावली में जबतक विषय और सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड, रांची

(ii) प्रधान सचिव/सचिव से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

(iii) "निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय

(iv) मीडिया कर्मी (पत्रकार) से अभिप्रेत है वह व्यक्ति (पत्रकार/छाया पत्रकार/वीडियोग्राफर पत्रकार/ प्रधान संपादक/समाचार संपादक/उप संपादक/समाचार व्यंग्य चित्रकार/आदि) जो किसी दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/टैबलॉयड समाचार पत्र/पत्रिका/समाचार एजेंसी/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेब साईट्स/वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे हों तथा The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) And Miscellaneous Provisions Act, 1995 में परिभाषित किए गए हों।

(v) "ग्रुप" से अभिप्रेत है बीमा योजना लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उसके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान।

(vi) "बीमा" से अभिप्रेत है ऐसा अनुबंध जो निश्चित अवधि के लिए बीमितों के ग्रुप में स्वास्थ्य–लाभ विषयक इलाज–खर्च हेतु तथा बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि के सन्दर्भ में व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता/अशक्तता होने पर उक्त को देय लाभ के लिए किया गया है।

(vii) ''प्रिंट मीडिया'' से अभिप्रेत है ''नियतकालीन प्रकाशन'' वाले समाचार पत्र/पत्रिका जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार पर टीका–टिप्पणी भी अन्तर्विष्ट हो तथा जो भारत के समाचार पत्रों के महापंजीयक (आर.एन.आई) द्वारा निबंधित हों।

(viii) ''इलेक्ट्रॉनिक मीडिया'' से अभिप्रेत है ''नियतकालीन मीडिया संगठन'' जो न्यूज़ बुलेटिन/करंट अफेयर्स का प्रसारण करता हो तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा निबंधित हो।

(ix) ''समाचार आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया'' से अभिप्रेत है समाचारों और टिप्पणियों का प्रकाशक/प्रसारक मीडिया जिस तक पहुंच के लिए पाठक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों एवं इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। जैसे– वेब साईट्स/वेब पोर्टल आदि।

(x) ''संपादक'' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1867, के अधीन समाचार पत्र का घोषित संपादक हो,

(xi) ''नियोजक'' से अभिप्रेत है, आवेदक के संस्थान में पदधारक व्यक्ति जिसे उस संस्थान में नियोजन का अधिकार प्राप्त है,

(xii) ''ब्यूरो प्रमुख'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जो विहित नियमों को अधीन एवं प्रक्रिया के अनुसार उस संस्थान का ब्यूरो प्रमुख घोषित किया गया हो।

3. बीमा की राशि – बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 (पाँच) लाख रू0 का होगा। इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों तथा सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल 5 (पाँच) लाख रू0 तक के चिकित्सा–खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी।

4. बीमा की अवधि – झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की अवधि एक वर्ष होगी। मीडिया प्रतिनिधि को बीमा अवधि पूरा होने के पूर्व नए वर्ष के लिए बीमा विषयक समस्त वांछनीय कर्रवाई पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

5. प्रस्तावित बीमा योजमा के संबंध में योजना की शर्तों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष सरकारी लोक उपक्रम की बीमा कंपनियों से कोटेशन प्राप्त कर, न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले एजेंसी के साथ दर वार्त्ता के आधार पर, बीमा का प्रीमियम प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के द्वारा निश्चित किया जा सकेगा।

6. प्राप्त कोटेशनों की न्यूनतम दर के आधार पर सफल बीमा कम्पनी के साथ एम0ओ0यू0 किया जायेगा जिसमें सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की तरफ से प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक तथा बीमा कम्पनी की तरफ से अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

7. बीमा की प्रभावशीलता – मीडिया प्रतिनिधियों के अंश–राशि सहित सम्पूर्ण बीमा राशि विभाग के माध्यम से बीमा कम्पनी के कोष में हस्तान्तरण की तिथि से बीमा प्रभावी माना जायेगा।

8. मीडिया प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनी द्वारा 5.00 (पाँच) लाख रू0 तक के बीमा हेतु अवधारित वार्षिक प्रीमियम की 20 (बीस) प्रतिशत राशि बैंकर चेक/चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड सरकार के पदनाम से यथानिर्दिष्ट खाते में यथासूचित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रीमियम के वार्षिक किश्त की 80 (अस्सी) प्रतिशत राशि सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा जमा करायी जायेगी।

9. निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय द्वारा प्राप्त राशि की जमा एवं भुगतान हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने पदनाम से बचत खाता खोला जायेगा तथा उसमें सारी प्रीमियम राशि जमा की जायेगी।

10. निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय द्वारा उक्त जमाकृत राशि का भुगतान बैंकर चेक/चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अनुबंधित बीमा कम्पनी को किया जायेगा।

11. बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि को बीमा–कम्पनी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में आश्रितों (पति/पत्नी, दो बच्चों) के विवरण तथा दावा प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशिती (Nominnee) की घोषणा सहित उनका पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगा।

12. इलाज या दुर्घटना की सूचना तत्काल अधिकतम सात दिवस के भीतर बीमा–कम्पनी के जिला कार्यालय सहित सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, रांची को सूचित करना आवश्यक होगा।

13. झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, नियमावली 2021 की शर्तें झारखण्ड सरकार की ओर से प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग अथवा निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय तथा अनुबंधित बीमा कम्पनी के बीच सम्पन्न एम0ओ0यू0 के आधार पर नियत मानकों के अनुसार विनियमित होगी।

14. इस योजना के तहत् बीमितों को अस्पतालों में इलाज हेतु "नगद रहित सुविधा" के मामले में अनुबंधित बीमा कम्पनी से संबंद्ध अस्पतालों में ही यह राहत उनके द्वारा नियत टी0पी0ए0 (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) के आकलन के बाद मिलेगी तथा जो अस्पताल उनकी सूची में नहीं है वहां अनुबंधित बीमा कम्पनी के द्वारा नियत टी0पी0ए0 (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) के आकलन के बाद संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उपर्युक्त विषयक सभी तरह के संव्यवहार की जानकारी बीमा कम्पनी द्वारा तत्काल सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को दी जायेगी।

15. झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 निम्नलिखित के संदर्भ में लागू होगी–

(i) इस नियम के उपखण्ड (ii) एवं (iii) के अधीन वैसे मीडियाकर्मी जो झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र झारखण्ड राज्य है, जिनका निवास स्थान आवेदन पत्र में उल्लेखित कार्यस्थान/पदस्थापन के स्थान पर है,

(ii) उन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया प्रतिनिधियों, जो कम से कम 50 प्रतिशत समाचार अथवा समाचार–विश्लेषण का प्रकाशन/प्रसारण करते हैं तथा विज्ञापन निर्गम हेतु राज्य की स्वीकृत

सूची में सम्मिलित हों। मीडिया कर्मियों को इस योजना के दायरे में आने के लिए संबंधित संस्थान में नियमित रूप से अथवा संविदा पर नियुक्त होना आवश्यक होगा, जिससे संबंधित प्रमाण पत्र या वेतन भुगतान से संबंधित साक्ष्य बीमा हेतु आवेदन करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii) स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता प्राप्त के सन्दर्भ में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत प्रेस प्रमाण पत्र धारकों (बीमा संबंधी आवेदन पत्र भरने के समय मान्य) के संबंध में लागू होगी।

16. बीमा हेतु पात्रता तथा अनिवार्य शर्त–

(i) ''झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, नियमावली, 2021'' झारखण्ड राज्य के मीडिया प्रतिनिधि के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। इस बीमा योजना में मीडिया प्रतिनिधि के पत्नी/पति एवं 21 वर्ष तक के आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान शामिल रहेंगे।

(ii) उक्त बीमा योजना के तहत् बीमित सभी व्यक्ति की पूर्व से ज्ञात/अज्ञात बीमारियों बीमाच्छादन हेतु सम्मिलित रहेंगी एवं प्रतीक्षा अवधि की कोई शर्त नहीं रहेगी।

(iii) यह बीमा एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा। साथ ही, प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान रहेगा।

(iv) इस बीमा योजना में मेडिक्लेम के अन्तर्गत मातृत्व संबंधी मामले आच्छादित नहीं होंगे।

(v) बीमित को इलाज के दौरान "नगद रहित सुविधा" इस नियमावली के नियम–14 के अधीन देना आवश्यक होगा।

(vi) इस बीमा योजना में ग्रुप मेडिक्लेम की पॉलिसी हेतु 5,00,000 (पांच लाख) रुपये, जो फ्लोटिंग बेसिस पर रहेगा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में 5,00,000 (पांच लाख) रुपये तक का बीमा किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक होगा।

(vii) बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि की उम्र सीमा 21–60 वर्ष होगी।

(viii) बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा इसके समकक्ष मान्य होगी।

(ix) आवेदक मीडिया प्रतिनिधि द्वारा संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख के हस्ताक्षर से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के पक्ष में निर्गत सवैतनिक पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रतिनिधि होने के नियुक्ति पत्र/संबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

(x) आवेदक मीडिया प्रतिनिधि द्वारा पांच स्टाम्प साइज फोटो एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (जो संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षरित हो) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(xi) आवेदक के मीडिया प्रतिनिधि किसी भी अन्य बीमा योजना अथवा मेडिक्लेम पॉलिसी से अच्छादित हो तो उसका पूरा विवरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(xii) बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के लिए पत्रकारिता संबंधी न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष के कार्यानुभव विषयक संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

(xiii) स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा आवेदन के समय मान्य प्रेस प्रमाण पत्र (सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत) की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

(xiv) आवेदक मीडिया प्रतिनिधि द्वारा उनके बैंक एकाउन्ट के चेकबुक से उनके हस्ताक्षर से निर्गत क्रॉस्ड/कैंसिल्ड ब्लैंक चेक (इसीएस सुविधा, एमआईसीआर तथा आईएफएससी कोड की जानकारी हेतु) संलग्न करना होगा।

(xv) आवेदक मीडिया प्रतिनिधि द्वारा बीमा विषयक अंशदान की राशि जमा करने से संबंधित प्राप्ति रसीद की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

(xvi) आवेदक मीडिया प्रतिनिधि किसी आपराधिक/न्यायिक मामले में अभियुक्त/आरोपी है, तो पूर्ण विवरण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यदि नहीं हैं तो इस संबंध में विहित्त प्रपत्र में नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

(xvii) आवेदक मीडिया प्रतिनिधि को अपने आश्रितों का पूर्ण विवरण देना होगा।

(xviii) आवेदक मीडिया प्रतिनिधि को नाम निर्देशिती की घोषणा करते हुए उसका पूर्ण विवरण देना होगा।

(xix) आवेदक मीडिया प्रतिनिधि यदि संस्थान/फर्म छोड़ते हैं तो उसकी तत्काल सूचना आवेदन अनुशासित करने वाले संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख द्वारा सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग तथा बीमा कंपनी को देना आवश्यक होगा। पत्रकारिता छोड़ देने पर बीमा का लाभ देय नहीं होगा एवं बीमा धारक द्वारा किये गये प्रीमियम का अंशदान व्ययगत हो जाएगा।

(xx) झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली, 2021 के अधीन नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार तथा बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि द्वारा क्रमशः 80 तथा 20 के अनुपात में किया जायेगा।

(xxi) बीमा हेतु मीडिया संस्थान की अर्हत्ता के संबंध में किसी भी संशोधन तथा किसी मीडिया संस्थान से बीमा कराने वाले मीडिया कर्मियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण आवश्यकता पड़ने पर प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा कार्यपालक आदेश के माध्यम से किया जा सकेगा।

17. बीमा संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया –

(i) बीमा इच्छुक मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के निदेशक को अपने–अपने जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से विहित्त प्रपत्र (परिशिष्ट 'क' तथा 'ख') में वांछित अनुलग्नक सहित देना होगा।

(ii) आवेदन की प्रक्रिया हेतु सबसे पहले सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के वेबसाईट www.prdjharkhand.in पर ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जिसे पूरा करने के बाद आवेदक को आई0 डी0 कोड सृजित होगा।

(iii) आवेदक पत्रकार द्वारा वांछित पात्रता की प्रविष्टि के उपरांत ही प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकेगा जिसे हार्डकॉपी के रूप में आवेदक द्वारा संबंधित जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) फार्म डाउन लोड करने के बाद संबंधित जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के कार्यालय में उसे जमा किया जायेगा तथा संबंधित जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी विहित प्रक्रियापूर्वक प्रपूरित प्रपत्र को राज्य मुख्यालय स्तर पर सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के अधीन प्रेस शाखा के अंतर्गत गठित पत्रकार बीमा कोषांग में अपनी अनुशंसा सहित ऑन लाईन अग्रसारित करेंगे तथा हार्ड कॉपी भी भेजेंगे।

(v) राज्य मुख्यालय स्तर पर सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में प्रेस शाखा के अधीन एक "पत्रकार बीमा कोषांग" का गठन किया जायेगा। इसकी मॉनिटरिंग प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस) द्वारा की जायेगी।

(vi) उक्त कोषांग में एक अराजपत्रित सचिवालय कर्मी का पदस्थापन किया जायेगा। साथ ही झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्य हेतु एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर भी विशेष तौर पर पदस्थापित रहेंगे।

(vii) झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, नियमावली, 2021 के मानक संचालन की प्रक्रिया हेतु एक विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किया जायेगा, जिसमें आवेदक मीडिया प्रतिनिधि द्वारा आवेदन किये जाने हेतु विहित पात्रता संबंधी शर्तों के आलोक में वांछित प्रविष्टियां भरे जाने संबंधी तथ्यों के सम्पूर्ण उल्लेख सहित संगत आवेदन प्रपत्र को रखा जायेगा।

(viii) जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी सभी आवेदनों को तीन प्रतियों में प्राप्त कर एक प्रति सुरक्षित रखेंगे तथा दो प्रति राज्य मुख्यालय को समेकित रूप से सुलभ करा देंगे।

(ix) सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में एक रोकड़ बहीं रोकड़पाल द्वारा संधारित की जायेगी जिसमें झारखण्ड राज्य पत्रकार बीमा योजना का लेन–देन दर्ज किया जाएगा।

18. उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रबंध प्रसंगाधीन मद में बजटीय उपबंध के माध्यम से किया जाएगा।

19. झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, नियमावली, 2021 अधिसूचित होने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा पूर्व में इस संबंध में निर्गत निदेशों/योजनाओं को विलोपित समझा जायेगा।

20. दावा – बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशिती सदस्य अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने पर स्वयं बीमा धारक को (i) दावा हेतु अवधारित प्रपत्र में सूचना (ii) पुलिस में दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 की प्रति (iii) यथा आवश्यक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र और (iv) मृत्यु प्रमाण पत्र बीमा कम्पनी के कार्यालय में निर्दिष्ट समयावधि में जमा कराने होंगे।

21. 2000 लाभार्थी पत्रकारों (अनुमानित) के संदर्भ में निर्धारति प्रीमियम के वार्षिक किश्त की 80 (अस्सी) प्रतिशत राशि के आधार पर इस योजना के कार्यान्वियन पर 2,22,40,640/– (दो करोड़ बाईस लाख चालीस हजार छः सौ चालीस) रूपये मात्र का वार्षिक व्यय अनुमानित है।

22. आयुष्मान योजना से आच्छादित लाभार्थियों को छोड़कर शेष पत्रकारों को उपरोक्त योजना का लाभ दिया जायेगा।

23. प्रस्ताव एवं संलेख पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(हस्ताक्षर) 18.1.22

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 02/बजट(श०यो०–स्वीकृति)–27/21–सू०ज०स० 15 **दिनांक** 18/01/22

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, पो०– हिनू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18.1.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 02/बजट(श०यो०–स्वीकृति)–27/21–सू०ज०स० 15 **दिनांक** 18/01/22

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची/सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड सरकार एवं सभी विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/निदेशक, जन–सम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी उप जनसम्पर्क निदेशक (क्षेत्र)/सभी जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18.1.22

सरकार के प्रधान सचिव।